ज़िला स्तरीय रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का होगा गठन

चर्चा में क्यों

13 जून, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए ज़िला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ज़िला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग होगा।
- संबंधित ज़िले के ज़िला कलक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन होगा। इसमें ज़िला पुलिस अधीक्षक, ज़िला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ज़िला मुख्यालय के नगरीय निकाय के आयुक्त शामिल होंगे।
- इनके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, ज़िला मुख्यालय के विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के अधिशाषी अभियंता, माध्यमिक शिक्षा के मुख्य ज़िला शिक्षा अधिकारी, ज़िला अस्पताल के अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, एन.आई.सी के सदस्य, एनएचएआई के परियोजना निदेशक तथा आईरेड/ई-डार प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
- सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक गैर–सरकारी संस्था के विशेषज्ञ प्रतिनिधि तथा दो सड़क सुरक्षा सलाहकार इस टास्क फोर्स में विशेष आमंत्रित एवं ज़िला/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
- ज़िला कलक्टर टास्क फोर्स की बैठक में किसी भी संबंधित विभाग के प्रतिनिधि को आमंत्रित तथा फोर्स के कार्यों के लिये निर्देशित कर सकेंगे।
- **टास्क फोर्स के कार्य :**
  - प्रत्येक 3 माह में टास्क फोर्स की कम से कम एक बार बैठक आयोजित होगी। ज़िला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स ज़िले में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु दर में वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत की कमी लाने के लिये वार्षिक कार्य योजना की प्रभावी क्रियान्विति, समिति के निर्णयों की क्रियान्विति सुनिश्चित करेगा।
  - इसके अलावा यह नियमित पर्यवेक्षण, सड़क सुरक्षा ऑडिट करवाकर ऑडिट अनुशंसाओं की समयबद्ध पालना, उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना, सड़क सुरक्षा से संबंधित राज्य की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार, जन जागरुकता अभियान का आयोजन तथा पूरे साल विशेष प्रवर्तन अभियान संचालित करने आदि दायित्वों का निर्वहन करेगी।
- **टास्क फोर्स की शक्तियाँ और कार्यकाल :**
  - ज़िला स्तर पर गठित टास्क फोर्स अनुसंधान, विश्लेषण, इम्पेक्ट असेसमेंट, फील्ड सर्वे, अध्ययन आदि कार्यों के लिये विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग के लिये समन्वय स्थापित करेगी।
  - साथ ही, सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिये सड़क सुरक्षा सलाहकार की सेवाएँ ले सकेंगी।
  - ज़िला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का कार्यकाल 3 वर्ष के लिये होगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/district-level-road-safety-task-force-will-be-formed